

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE

हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), (हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण)

HINDI TEACHING SCHEME (North-Central), (HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING)

पूर्वी खंड-7, तल-6,
East Block-7, Level-6,
रामकृष्णपुरम/R.K. Puram,
नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated... १०-४-२०१५

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)।

निदेशक/संयुक्त निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,

सभी मंत्रालय संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/ राष्ट्रीय बैंक आदि।

नई दिल्ली।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन,

अगस्त, 2015

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र अगस्त, 2015 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 10-11 अगस्त, 2015 (अनिवार्य वर्ग) 12 अगस्त, 2015 (स्वैच्छिक वर्ग) का होगा। नियमित कक्षाएं दिनांक 17 अगस्त, 2015 से आरंभ होंगी। प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक “क” में विस्तार से दी गई है। प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक “ख” में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 31.07.2015 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं।

हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः आपसे यह अनुरोध है कि कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी :

हिंदी आशुलिपि

प्राठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	17 अगस्त, 2015 से जुलाई 2016 1 वर्ष 1 घंटा प्रतिदिन	जुलाई के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में	केवल उन्हीं अधिकारी/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी वर्गों के अंग्रेजी के आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। स्वैच्छिक: अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों हेतु*	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राप्त आदि।

३०-८-१५

.....2/-

*हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकेत दिया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	परीक्षा	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	17 अगस्त, 2015 से 2016 प्रतिदिन	जनवरी, अथवा तीसरे सप्ताह में 1 घंटा	<p>केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>सभी अंगेंजी टंककों/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंटी ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग “ग” के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। वर्ग “घ” से वर्ग “ग” में आए उन कार्मिकों लिए, जो ग्रुप “ग” श्रेणी लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है।</p> <p>स्वैच्छिक :</p> <ol style="list-style-type: none"> वर्तमान में सहायकों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि। 	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

चयन का आधार

- जिन कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण अथवा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है, उन्हें अन्य मानक, जैसे संवर्ग/सेवा की श्रेणी समान होने पर, उनकी आयु के आधार पर कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात् अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यह शर्त प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और सीटों के भरने तक ही लागू रहेगी। यदि इसके बाद भी कक्षा में स्थान रिक्त रहता है तो, स्वैच्छिक आधार पर नामित किए गए कर्मचारियों को अधिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, वशर्त वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी प्रशिक्षण के आरंभ होने की तिथि से सेवानिवृत्ति को एक वर्ष या उससे कम शेष है, को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्त पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपियों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग-व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400 रुपए
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600 रुपए
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800 रुपए

परीक्षा शुल्क

- केन्द्रीय उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के लिए 100/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक “क” पर दिया गया है।
- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के द्वौरे अनुलग्नक “ख” में दिए गए प्रपत्र में दिनांक 31 जुलाई, 2015 तक इस कार्यालय को अवश्य भिजवा दिए जाएं।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही किया जाए तथा नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए।
- पत्र की एक प्रति संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि) को भी प्रेषित की जाए।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में 10-11 अगस्त, 2015 को अनिवार्य वर्ग तथा 12 अगस्त, 2015 को स्वैच्छिक वर्ग को प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि) से संपर्क करना होगा।
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। अतः इस परिपत्र में दिए गए विवरण एवं कार्यक्रम के अनुसार ही उन्हें प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर संपर्क करना है।
- संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते, वहां स्थान उपलब्ध हो।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदृप्योग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

भवदीय,

(जे० लल० गुप्ता)
उप निदेशक (टं/आ)
Chti 1031

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लाक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	सुश्री पूर्वम फोन 23036516	डाक भवन, पटेल भवन, निर्याचन सदन, संचार भवन, कानॉट प्लेस, संसद मार्ग, तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि	कंप्यूटर पर
3.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार फोन 23098591/4711	संघ लोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, केन्द्रीय कार्यालय परिसर तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
4.	बी-ब्लाक कमरा नं. 107, बी-ब्लाक हटमेंट्स, (साउथ ब्लाक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर फोन 23014875	सेना भवन, साउथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, तथा आसपास हटमेंट्स में स्थित कार्यालय	कंप्यूटर पर
5.	योजना भवन कमरा नं. 519-ए, संसद मार्ग, योजना भवन, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23042529	योजना भवन, आकाशवाणी, रिज्व बैंक तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
6.	उद्योग भवन, अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र कमरा नं. 540, उद्योग भवन, नई दिल्ली	अंशकालिक अनुदेशक	उद्योग भवन	मैनुअल टाइपराटर पर


नामांकन प्रपत्र

31/7/2015 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या		नामित कर्मचारियों का विवरण							सुविधाजनक केंद्र
टंकण	आशुलिपि	प्रशिक्षण		नाम/पदनाम	दूरभाष/ ई- मेल	हिंदी में योग्यता	जन्म तिथि		
1	2	3	4	5	6	7	8		9

नामित करने वाले अधिकारी का नाम.....
 कार्यालय का नाम व पूरा पता, दूरभाष नं० सहित.....
 ई-मेल आई-डी

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

१. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव को सचिव के सूचनार्थ ।
२. संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।
३. भारत के नियंत्रक व महात्मेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
४. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली ।
५. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
६. रत्कता आयोग, नई दिल्ली ।
७. कर्मचारी चयन आयोग, सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली ।
८. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय ।
९. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खण्ड-७, आर०के०पुरम, नई दिल्ली ।
१०. केन्द्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली ।
११. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, ११ तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
१२. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, लोटी रोड, नई दिल्ली ।
१३. निदेशक (नीति एवं समन्वय) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
१४. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
१५. संपादक, राजभाषा भारती एवं राजभाषा पुष्पगाला, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
१६. सचिव, वैकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली ।
१७. निदेशक (राजभाषा) रेलवे वोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली ।
१८. उप निदेशक (टंकण पत्राचार), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, २-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
१९. उप निदेशक (परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया परीक्षा की व्यवस्था करें ।
२०. उप निदेशक (कार्यालयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
२१. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता/मुबई/चैन्नै/गुवाहाटी ।
२२. सहायक निदेशक (ट०/आ०) हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण केन्द्र.....
२३. सहायक निदेशक (ट०/आशु.), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, के.हि.प्र.सं.
नई दिल्ली ।



(जे० ल० गुप्ता)

उप निदेशक (ट०/आ०)

Cht 1031